राज्य सैक्टर/चालू योजना
संख्याः 2586 /XV-1/09/ 1(43)/07

प्रेषक,

जी०बी० ओली,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड गोपेश्वर चमोली।

पशुपालन अनुभाग–1

देहरादून : दिनांक 07 सितम्बर, 2009

विषयः चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में राज्य सैक्टर के अन्तर्गत चालू योजनाओं में धनराशि अवमुक्त करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–1205/नि०/आय–व्ययक/2009–10 दिनांक 24 जुलाई, 2009 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में लेखानुदान में स्वीकृत धनराशि को समाहित करते हुए पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव की योजनान्तर्गत **रूपया 67 हजार (रूपया सड़सठ हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्न विवरणानुसार प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि हजार रू० में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	मद संख्या	स्वीकृति
मुख्य लेखाशीर्षक 2403–पशुपालन आयोजनागत–00–106–अन्य पशुधन विकास–		
06–पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव की योजना	42–अन्य व्यय	67
योग		**67**

(रूपया सड़सठ हजार मात्र)

उक्त धनराशि का व्यय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा :–

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। स्वीकृत धनराशि की फांट कर तत्काल संबंधित अधिकारियों को उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाय।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम० 13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय तथा धनराशि व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लखित नियमों व प्रचलित शासनादेशों को ध्यान में रखा जाय।

(4) यदि किसी योजना/शीर्षक एवं मद में आय–व्ययक 2009–10 में बजट प्राविधान लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि से कम हो तो धनराशि आय–व्ययक प्राविधान की सीमा तक ही व्यय की जायेगी।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2009–10 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–2403–पशुपालन आयोजनागत–00–106–अन्य पशुधन विकास–06–पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाव की योजना–42–अन्य व्यय के नामे डाले जाय।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 227(P)/XXVII-4/2009 दिनांक 07 सितम्बर, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव

संख्याः 2586 (1)/ XV-1/ 2009 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव एवं आयुक्त को अपर मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमायूँ मण्डल नैनीताल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4/नियोजन अनुभाग।
10. राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, एन०आई०सी० को वेबसाइट पर उपलब्ध कराने हेतु।
12. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी०बी० ओली)
संयुक्त सचिव